तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रेम जैन बनाम लोक सूचना अधि0 (जिला रसद अधिकारी धौलपुर) प्रथम अपील, (मु0संख्या 19/2022) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2022/36)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
06-07-2022	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट की यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के पत्र कमांक/2022 दिनांक 10.06.2022 से इस कार्यालय को दिनांक 20.06.2022 को प्राप्त हुई है। अपीलान्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः रसद/सू.अ./2022/1757 दिनांक 28.06.2022 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना, अपीलार्थी श्री प्रेम जैन पुत्र स्व0 श्री भीकाराम जैन निवासी कमल बैण्ड के सामने सराय गजरा रोड कोठी धौलपुर को उनके कार्यालय के पत्र कमांक रसद/सू.अ./2022/1756 दिनांक 28.06.2022 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डांक से भिजवाई जा चुकी है जिसके पत्र की प्रति पेश की है। अतः इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई बांछित सूचना अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर के पत्र कमांक रसद/सू.अ./2022/1756 दिनांक 28.06.2022 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डांक से भिजवाई जा चुकी है। पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे। (अनिल कुमार अग्रवाल) जिला कलक्टर धौलपुर	